



न्यायालय :- विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण)  
(अपर सेशन न्यायाधीश सं०-१), नोहर, जिला-हनुमानगढ़  
(लिंक न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश सं०-२ नोहर)

लिंक पीठासीन अधिकारी —: रामकन्या सोनी,  
R.J.S.(D.J. Cadre)

जमानत आवेदन सी.आई.एस. संख्या —: 152/2026

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 95/2026 पुलिस थाना गोगामेडी  
अपराध अंतर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट

दुनीराम पुत्र पीरदान निवासी वार्ड सं० 12 परलीका तहसील नोहर जिला  
हनुमानगढ़।

—प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए विशिष्ट लोक अभियोजक, नोहर।

—अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भा०ना०सु०सं०

उपस्थिति :-

01. श्री रविन्द्र सिंह, अधिवक्ता – प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
02. श्री दलीप सिंह, विशिष्ट लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।

—: आदेश :-

दिनांक :- 02-06-2026

01. श्रीमान् अपर सेशन न्यायाधीश सं०-१ नोहर के अवकाश पर होने से  
प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 483  
भा०ना०सु०सं० इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, जिसकी नकल विद्वान  
विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई।  
बहस सुनी गई।
02. प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा अपने जमानत आवेदन में उल्लेखित  
तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त को  
इस प्रकरण में झूठा फंसा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक  
19-05-2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रथम सूचना व पत्रावली पर  
उपलब्ध साक्ष्य से प्रार्थी के विरुद्ध ऐसा कोई अपराध बनना नहीं पाया



जाता है, जिसकी सजा आजीवन कारावास या मौत हो। प्रकरण के अनुसंधान पूर्ण होकर विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तथाकथित बरामदगी से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी इलाका हाजा का रहने वाला है, जिसके भागने व फरार होने का अंदेशा नहीं है, इसलिए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

03. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध गम्भीर प्रकृति के अपराध का अभियोग है, उसके विरुद्ध पूर्व में भी **पांच** आपराधिक प्रकरण दर्ज हो रखे हैं, जिनमें से **तीन** आपराधिक प्रकरण इसी प्रकृति के अपराध से संबंधित हैं, इसलिए उसका जमानत आवेदन खारिज किया जाए।
04. प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।
05. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 18-05-2026 को थानाधिकारी चन्द्रकला मय जाब्ता गश्त करते हुए वक्त 5:50 पी.एम. पर परलीका के पास पहुंची तो मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे.-49-एस.जे.-0608 आता दिखाई दिया। शक होने पर उसे काबू कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दुनीराम बताया। नियमानुसार दुनीराम की तलाशी ली तो उसकी पहनी हुई लोवर की बाईं जेब से एक पॉलिथीन की थैली सहित कुल **26.73 ग्राम हेरोईन (चिट्टा)** पुलिस ने बरामद किया, जिसे अपने कब्जा में रखने का लाइसेंस पूछा तो नहीं होना बताया, आदि तथ्यों की फर्द बरामदगी के आधार पर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर अनुसंधान जारी है। अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार है —:

| क्र.सं. | मु०नं० | पुलिस थाना | धारा                                                       | नतीजा कोर्ट |
|---------|--------|------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 01.     | 68/19  | भादरा      | <b>365-308-325-427-382-323-341-342-452-147-148-149 IPC</b> | Pending     |
| 02.     | 293/23 | —          | 323-341-325-427-143 IPC & SC/ST ACT                        | Pending     |
| 03.     | 60/23  | फेफाना     | <b>8/21 NDPS ACT</b>                                       | Pending     |
| 04.     | 41/22  | —          | <b>8/21, 25, 29 NDPS ACT</b>                               | Pending     |



|     |       |           |                   |         |
|-----|-------|-----------|-------------------|---------|
| 05. | 91/23 | गोगामेड़ी | 8/21, 29 NDPS ACT | Pending |
|-----|-------|-----------|-------------------|---------|

06. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस अब तक अपने अनुसंधान में धारा 8/21 स्वापक औषधि एवम् मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित माना है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19-05-2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रस्तुत प्रकरण में **कुल 26.73 ग्राम हेरोईन (चिट्टा)** बरामद किए जाने का तथ्य आया है। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो उसके विरुद्ध पूर्व में कुल **पांच** आपराधिक प्रकरण दर्ज हो रखे हैं, जिनमें से **तीन आपराधिक प्रकरण इसी प्रकृति के अपराध से संबंधित हैं।** प्रकरण के सह-अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पूर्व में इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रकरण का **मुख्य अभियुक्त** है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध गम्भीर प्रकृति के अपराध का अभियोग है। वर्तमान में नोहर क्षेत्र में इस प्रकार की तस्करी के काफी मामले सामने आ रहे हैं और इस प्रकार की तस्करी से युवा वर्ग अपने पथ से पथभ्रष्ट हो रहा है। अतः प्रकरण की उक्त विशेष परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**—: आदेश :—**

07. अतः प्रार्थी/अभियुक्त दुनीराम पुत्र पीरदान निवासी वार्ड सं० 12 परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भा०ना०सु०सं० अस्वीकार कर **खारिज** किया जाता है।

**(रामकन्या सोनी)**

08. आदेश आज दिनांक **02-06-2026** को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

**(रामकन्या सोनी)**